12-1/21 अभि० प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली बरामद होकर आज पेश हुई। पेशकार सरकार उप० है। रिपोर्ट प्राप्त है। शामिल रहे। प्रार्थी का मुख्तार

रूप से कथन है कि वादग्रस्त आराजियात में उसकी वल्दियत गंगल्या दर्ज है जबकि उसके पिता का सही नाम गंगाराम है। इसलिए आराजियात वर्णित खतौनी नं. 127, 1531 जमाबंदी सम्बत 2073-2076 वाके ग्राम रोडारायसिंह में बद्री पुत्र गंगल्या के स्थान पर बद्री पुत्र गंगाराम दर्ज फरमाया जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का व पेशकार तहसील की अभिशंषा में प्रार्थी के पिता का नाम गंगल्या के स्थान गंगाराम किया जाना उचित बताया है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन कि उसके पिता का वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी में नाम गंगल्या की जगह दुरुस्त करवाकर गंगाराम करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबंदी खाता नं. 127 सम्बत 2073-76 वाके ग्राम भासू, आधार कार्ड, बैंक डायरी तथा रिपोर्ट पटवारी इसी बात की पुष्टि करते है। पेशकार तहसील द्वारा भी इसी आशय की दुरुस्ती की अभिशंषा की है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व अभिशंषा तहसीलदार के अनुसार स्वीकार किया जाकर आराजियात वर्णित खतौनी नं. 127 व 1531 जमाबंदी सम्बत 2073 से 2076 वाके ग्राम रोडारायसिंह में बदरी पुत्र गंगल्या के स्थान पर बदरी पुत्र गंगाराम दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष सभी अंकन बदस्तूर रहेंगे। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु तहसीलदार को पालनार्थ तहरीर जावे हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ruby